

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 583

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

**आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामले**

**583. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले दस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं ;

(ग) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**

**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) और (ख) :** 15.07.2022 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 2,35,617 हैं और 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या 42,374 हैं ।

**(ग) और (घ) :** 14.07.2022 तक 37 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या में से 24 न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं । 13 रिक्त पदों में से 8 प्रस्तावों की उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई हैं और प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक, सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया हैं । राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित हैं । जब कि प्रत्येक प्रयास शीघ्रता से विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है । उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग और उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण है ।

\*\*\*\*\*